दिनांक 12.09.14 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी रंजीतपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा रंजीतपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी, जिस पर लोक सुनवाई पूर्व में दिनांक 08.08.14 को नियत थी, जो अपिहार्य कारणों से स्थगित हुयी। पुनः दिनांक 13.08.14 को संशोधित दिनांक की अधिसूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय, रायघाटी, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 12.09.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के रायघाटी के निकट गंगा नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 20.643 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 2.91 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।

कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 3.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री कैलाश शर्मा द्वारा पृच्छा की गयी, कि नदी की दूरी के सम्बन्ध में जो 15 प्रतिशत की बात कही गयी है, उसके सम्बन्ध में नदी का क्षेत्रफल एवं उसका सीमांकन किस प्रकार से किया जायेगा। इस पर बताया गया कि नदी की चौडाई में किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग छोडा जायेगा। गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि तहसीलदार लक्सर की आख्या के अनुसार खनन हेतु खसरा न0– 310, 311, 312, 314, 319, 322, 333 चिन्हित किये गये है तथा स्थानीय ग्रामवासियों के साथ एवं विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के साथ मिलकर खनन हेतु सीमांकन किया जायेगा तथा उपरोक्त वर्णित खसरों को ही खनन हेतु आधार माना गया है।

2. श्री कैलाश शर्मा द्वारा यह आपत्ति की गयी कि रंजीतपुर के पट्टे पर खनन हेतु सुनवाई ग्रम रंजीतपुर में ही होनी चाहिये थी, जिस पर अवगत कराया गया कि उक्त लोक सुनवाई हेतु स्थल के सम्बन्ध में अधिसूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी।

3. श्री रामपाल द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में जिन प्राइवेट पट्टों पर खनन हो रहा है, उनके कारण गंगा का बहाव गांव की तरफ हो रहा है। अतः खनन गंगा के दूसरे किनारे पर होना चाहिये। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

4. डा0 सौरभ गुप्ता, मौलिक अधिकार समिति द्वारा कहा गया कि
   (क) विगत में अनियोजित खनन होने से बाढ की समस्या बढी है तथा स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ नही मिल रहा है।
   (ख) यह पूछा गया कि वर्तमान परियोजना में अक्षांश एवं देशान्तर क्या है? क्या इनका भैतिक सत्यापन किया गया है?
   (ग) जितना खनन प्रस्तावित है वह उतनी ही मात्रा में होगा। इसकी देखरेख कौन करेगा? इस हेतु सक्षम अधिकारी कौन होगा?

   कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो खनन प्रस्तावित है वह वैज्ञानिक तरीके से होगा जिससे अनियोजित खनन पर अंकुश लग सकेगा तथा स्थल चिन्हिकरण/सीमांकन के पश्चात ही खनन होगा। अक्षांश एवं देशान्तर के सम्बन्ध में बताया गया कि आंकडे सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट एवं गुगल के लिये गये हैं, जिनका विवरण ईआईए रिपोर्ट में दिया गया है। जबकि भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में कोई जवाब नही दिया गया है। सुनियोजित खनन के सम्बन्ध में बताया गया कि यह कार्य गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जायेगा जिस पर गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सुनियोजित खनन की देख–रेख हेतु सक्षम अधिकारी विहित किये जायेगे।

5. श्री सुमित भार्गव, मौलिक अधिकार समिति द्वारा पूछा गया कि खनन से प्राप्त रायल्टि का कितना व्यय स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं हेतु होगा। जिस पर बताया गया कि इस पर कुल 2–5 प्रतिशत का व्यय प्रस्तावित है। श्री भार्गव द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया कि वर्तमान

लोक सुनवाई प्राथमिक विद्यालय में न होकर एक निजि भवन में हो रही है एवं इस पर स्थिति स्पष्ट की जाये। गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जन सुनवाई प्राथमिक विद्यालय परिसर के समीप ही आयोजित की जा रही है। इस बिन्दु पर जन सुनवाई में यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान जन सुनवाई स्थल के स्वामी श्री सुखेराम पुत्र श्री नन्द राम जो की एक निजि स्थल है जिस पर जन सुनवाई नही की जानी चाहिये। इस बिन्दु पर उनको आपत्ति है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वर्तमान जन सुनवाई के स्थल के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से जांच करा ली जाये कि यह प्राथमिक विद्यसलय की भूमि है अथवा निजि।

6. श्री धर्म सिंह आर्य द्वारा बताया गया कि इस जन सुनवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नही कराई गयी है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन नियमानुसार व नियोजित होना चाहिये। पूर्व में गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा अनियोजित तरीके से खनन हुआ है, जिस पर बाण गंगा में हुये अवैध खनन का उदाहरण दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि खनन से पूर्व यह निर्धारित कर लिया जाये कि इसका समुचित सीमांकन हो एवं इसकी गहराई भी निश्चित हो।

गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि खनन हेतु खसरे चिन्हित है, जिनका स्थानीय ग्रामवासियों के साथ एवं विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के साथ मिलकर खनन हेतु सीमांकन किया जायेगा। खनन की गहराई अधिकतम 1.5 मीटर तक होगी।

7. श्री पदम कुमार मौलिक अधिकार समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन की सीमा निश्चित हो, सुनियोजित हो जिससे इसका लाभ स्थानीय ग्रामवासियों को मिल सके। स्थानीय ग्रामवासियों के इन्श्योरेन्स एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक कार्ययोजना बनाई जाये तथा स्थानीय लोगों को अपने निजि उपयोग हेतु रेत निकासी पर आपत्ति नही होनी चाहिये।

गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि निगम द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम विकास के कार्य कराये जायेगं तथा स्थानीय निवासियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जायेगी।

8. श्री सत्यवीर द्वारा पूछा गया कि खनन का सीमांकन होगा कि नही? एवं स्थानीय लोगों को अपने निजि उपयोग हेतु खनन सामग्री निकासी में किसी प्रकार की छूट मिलेगी अथवा नही? इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि स्थानीय लागों के साथ मिलकर सीमांकन का कार्य किया जायेगा तथा खनन की निकासी उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के अनुसार ही की जायेगी।

9. श्री ब्रहमपाल सिंह द्वारा यह कहा गया कि रामपुर रायघाटी के किन किन खसरों पर खनन किया जायेगा, जिस पर उनको बताया गया कि यह जन सुनवाई रंजीतपुर हेतु है। रायघाटी हेतु पूर्व में लोक सुनवाई हो चुकी है एवं जिसके खसरों के सम्बन्ध में गढवाल मंडल विकास निगम से जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

10. श्री राजकुमार द्वारा पूछा गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा पट्टों का क्षेत्रफल कितना है एवं यह भूमि किसकी है जिस पर उन्हे बताया गया कि पट्टों का कुल क्षेत्रफल 20.643 हैक्टेयर है तथा यह भूमि राज्य सरकार की है जिसमें कोई निजि भूमि नही है। सीमांकन के समय स्थानीय लोगों को साथ लेकर कार्य किया जायेगा।

स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्विार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

(क) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गये "रेत, बजरी, बोल्डर परियोजना" पर उनको आपत्ति है क्योकि बजरी बोल्डर इत्यादि उपर से बहकर नही आते है। स्वयं प्रोजेक्ट स्टडी के साराश में कहा गया है कि नदि में वर्तमान में एकत्र मलबे का 90 प्रतिशत भाग जिसकी प्रतिपूर्ति होगी, निकाला जायेगा। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा मातृ सदन की आपत्ति दिनांक 03.01.14 पर अपने जवाब दिनांक 21.01.14 में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नही आते है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये।

(ख) परियोजना में जो अक्षांश/देशान्तर दर्शाये गये है, उनमें अधिकांश भाग वनस्पति क्षेत्र दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें खेती की भूमि भी सम्मिलित है। अतः खनन हेतु वनस्पति क्षेत्रफल का ही खुदान होगा, जो कि चुनौती किये जाने योग्य है। इन क्षेत्रों पर यदि खनन होता है तो क्षेत्र में आपदा आनी सुनिश्चित है।

(ग) परियोजना के सारांश में बताया गया है कि पत्थरों का Replineshment ही होगा, जबकि Replineshment वास्तविक रूप से नही होता है। पत्थरों व बोल्डरों का खनन बन्द होना चाहिये तथा रेत के खनन हेतु वास्तविक स्टडी पुनः करायी जाये।

(घ) कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नही है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो। भारत सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय पार्क से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव जन्तु बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है अतः यह स्टडी निरस्त किये जाने योग्य है।

(ड.) स्वामी दयानन्द द्वारा दिनांक 26.07.14 को जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र का सन्दर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपर जिलाधिकारी एवं गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारी मातृ सदन जाकर उनकी आपत्ति दर्ज करें।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये कहा कि इस अध्ययन की परिकल्पना एवं आधार ही गलत है। अतः यह निरस्त किये जाने योग्य है। इसकी स्टडी को चुनौती दी है।

इस पर कार्यदायी संस्था को उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु कहा गया जिस पर उनके द्वारा उपरोक्त सभी आपत्तियों (क) से (घ) तक कोई सन्तोषजनक एवं तथ्यपरक जवाब नही दिया गया। है। अक्षांश/ देशान्तर के सम्बन्ध में परियोजना एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कोई सन्तुष्ट पक्ष नही रखा गया जिससे क्षेत्रफल व खनन हेतु वास्तविक भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही हो सकी। राष्ट्रीय वन्य जीव–जन्तु बोर्ड की क्लियरेन्स के सम्बन्ध में भी अस्पष्टता है। इस पर कोरम द्वारा

इस बात को महसूस किया गया कि पूर्व में भी जन सुनवाई पर इसी प्रकार की अपत्तियां आयी है जिस पर सन्तोषजनक जवाब प्राप्त नही हुये है। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत अपने ही आंकडे Self Contradicotry अतः कोरम द्वारा उपरोक्त सभी आपत्तियों के सम्बन्ध में तथ्यों को केन्द्रिय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को यथावत् प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। जहां पर विशेषज्ञ समूह द्वारा उपरोक्त का परीक्षण करते हुये परियोजना पर re-study of proposed project पर अग्रिम निर्णय लिया जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल
समन्वयक, गंढवाल मंडल
विकास निगम, हरिद्वार

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार